

भारतीय सर्वेक्षण विभाग  
SURVEY OF INDIA

निदेशक का कार्यालय,  
त्रिपुरा मणिपुर एवं मिजोरम  
भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र,  
5वां माला, केन्द्रीय सदन, चिरुकान्दी रोड़,  
तारापुर, सिलचर, आसाम 788003  
ई-मेल - [tmmzgcd.soi@gov.in](mailto:tmmzgcd.soi@gov.in)  
फोन 03842-268132, 268555, 268911 (फै)



OFFICE OF THE DIRECTOR,  
TRIPURA, MANIPUR & MIZORAM  
GEO-SPATIAL DATA CENTER, 5<sup>TH</sup> FLOOR,  
KENDRIYA SADAN, CHIRUKANEI ROAD,  
TARAPUR, SILCHAR, ASSAM 788003  
E-MAIL - [tmmzgcd.soi@gov.in](mailto:tmmzgcd.soi@gov.in)  
Telephone 03842, 268132, 268555, 268911 (Fax)

त्रिपुरा, मणिपुर एवं मिजोरम भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र, सिलचर का नेमी आदेश संख्या:- 03 /  
37-जी-7 दिनांक:- 30 अप्रैल, 2020

1. तदर्थ पदोन्नति (Ad-Hoc Promotion) :-

इस जी.डी.सी. के निम्नलिखित अधिकारी सर्वेक्षकों को अधीक्षक सर्वेक्षक के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल - 11 (Pre-revised PB3 15600-39100 GP 6600) में पूर्ण रूप से तदर्थ आधार पर (Ad-Hoc Basis) उनके नाम के सामने दर्शाए गये विवरण के अनुसार पदोन्नति प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम	पदोन्नति की तिथि	वेतन मैट्रिक्स	टिप्पणी
1	श्री लुतफुर रहमान बरभुईया, अधिकारी सर्वेक्षक	18.02.2020	लेवल 11	-
2	श्री महमूद खारकोंगर, अधिकारी सर्वेक्षक	18.02.2020	लेवल 11	-
3	श्री अरुण कुमार दास, अधिकारी सर्वेक्षक	18.02.2020	लेवल 11	-

प्राधिकार :- भारत के महासर्वेक्षक का पत्रांक सं. सी-788/ 853-SS दिनांक 18-02-2020.

(i) उपरोक्त कर्मचारियों को नए-वेतनमान में वेतन निर्धारण के लिए एफ.आर. 22(1)ए(1) के अन्तर्गत विकल्प देना अनिवार्य है।

(ii) उपरोक्त कर्मचारियों के विरुद्ध कोई सतर्कता / अनुशासनात्मक मामला लम्बित नहीं है।

(iii) उपरोक्त कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण कार्यालय अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।

(iv) अतिरिक्त व्यय वर्ष 2020-2021 के लिए संस्वीकृति बजट अनुदान में से पूरा किया जायेगा एवं समुचित लेखा शीर्ष के नामे डाला जायेगा।

2. नगदी को संभालना भत्ता (कैश हैन्डलिंग एलाउन्स) :-

भारत सरकार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली के पत्र सं. १43७8 एस.एम.पी.-1 दिनांक २८.०३.१९७८ और भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) का कार्यालय जापन सं. ०४.०५.१९९7 स्थापना (वेतन - II) दिनांक ०५.०५.१९९८ के अधीन निम्नलिखित कर्मचारी को उनके नाम के सामने दर्शाए गये विवरणानुसार खजांची का कार्य करने के लिए नकदी लेनदेन भत्ता प्रदान किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम	अवधि	कैश हैंडलिंग एलाउन्स की राशि	टिप्पणी
1	श्री चिरंजीवी कुमार, अवर श्रेणी लिपिक	01.04.20 से 31.03.2021 तक	रु 700/- प्रति माह	

अतिरिक्त व्यय वर्ष 2020-2021 के लिए संस्वीकृति बजट अनुदान में से पूरा किया जायेगा एवं समुचित लेखा शीर्ष के नामे डाला जायेगा ।

### 3. स्थानांतरण :-

इस केन्द्र से निम्नलिखित अधिकारी / कर्मचारी स्थानांतरण पर गये :-

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम	किस कार्यालय में स्थानांतरित हुए	स्थानांतरण तिथि	प्राधिकार
1	श्री देबब्रत पालित उप अधीक्षक सर्वेक्षक	मेघालय एवं अरुणाचल प्रदेश भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र, शिलांग	14.02.2020	भारत के महासर्वेक्षक का पत्रांक सं. स्था. 01-4426/701-उप अधीक्षक सर्वेक्षक दिनांक 24-07-2019.

### 4. सेवा निवृत्ति :-

इस केन्द्र से निम्नलिखित अधिकारी / कर्मचारी उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से सेवा-निवृत्त हो गये हैं:-

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम	कार्यालय	सेवानिवृत्त होने की तारीख
1	श्री फखरुल इस्लाम चौधुरी अधिकारी सर्वेक्षक	त्रिपुरा, मणिपुर एवं मिजोरम भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र, सिलचर	31.01.2020

### 5. एम. ए. सी. पी. योजना :-

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र सं० ए-11019/1/2008-सी.डी.एन. दिनांक 08.06.2009 के अन्तर्गत प्राप्त कार्मिक एवं लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं० जी०-35034/3/2009-स्था० (डी) दिनांक 19-05-2009 में निहित अनुदेशों के अनुसरण में निम्नलिखित सर्वेक्षकों को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए एम० ए० सी० पी० योजना के तहत वेतन मैट्रिक्स में लेवल 7 में प्रथम वित्तीय उन्नयन स्वीकृत किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम	प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय उन्नयन	एम० ए० सी० पी० का लाभ प्रदान करने की तिथि	वेतन मैट्रिक्स	टिप्पणी
1	श्री अलोक नाथ, सर्वेक्षक	प्रथम	01.07.2019	लेवल 7	-
2	श्री सुजीत कुमार मजुमदार, सर्वेक्षक	प्रथम	01.07.2019	लेवल 7	-



3	श्री सुदीप दत्ता, सर्वेक्षक	प्रथम	01.07.2019	लेवल 7	-
---	-----------------------------	-------	------------	--------	---

प्राधिकार :- भारत के महासर्वेक्षक का पत्रांक सं. सी-944/ 1902-MACP-I (Surveyor) (Coll.IV) दिनांक 26-02-2020.

- (i) उपरोक्त कर्मचारियों को वित्तीय उन्नयन की तिथि से एक माह के भीतर नए-वेतनमान में वेतन निर्धारण के लिए एफ.आर. 22(1)ए(1) के अन्तर्गत विकल्प देना अनिवार्य है ।
- (ii) उपरोक्त कर्मचारियों के विरुद्ध कोई सतर्कता / अनुशासनात्मक मामला लम्बित नहीं है ।
- (iii) उपरोक्त कर्मचारियों का वेतन का निर्धारण कार्यालय अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा ।
- (iv) अतिरिक्त व्यय वर्ष 2020-2021 के लिए संस्वीकृति बजट अनुदान में से पूरा किया जायेगा एवं समुचित लेखा शीर्ष के नामे डाला जायेगा ।

#### 6. अस्थायी कर्मचारियों की सेवा को जारी रखना :-

इस निदेशालय के निम्नलिखित पद पर पदस्थापित अस्थायी Group "C" (Ministerial) स्थापना के कर्मचारियों को 01.03.2020 से 28.02.2021 तक आगामी एक वर्ष के अवधि के लिए अथवा अन्य आदेश जारी किये जाने तक जो भी पहले हो, निरंतर सेवा में बने रहने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम	वेतन मैट्रिक्स	अवधि	टिप्पणी
1	श्री चिरंजीवी कुमार, अवर श्रेणी लिपिक	लेवल - 2	01.03.2020 से 28.02.2021	-
2	श्री दीपक कुमार, अवर श्रेणी लिपिक	लेवल - 2	01.03.2020 से 28.02.2021	-


अतिरिक्त व्यय वर्ष 2020-2021 के लिए संस्वीकृति बजट अनुदान में से पूरा किया जायेगा एवं समुचित लेखा शीर्ष के नामे डाला जायेगा ।

#### 7. अस्थायी कर्मचारियों की सेवा को जारी रखना :-

भारत सरकार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली के पत्र सं.23-28/89-सर-1 दिनांक 10.05.1973 जो कि भारत के महासर्वेक्षक के पत्र सं. आर-18247/1442 दिनांक 21.05.1973 के अन्तर्गत प्राप्त हुआ / इसके अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के आधार पर निम्नलिखित अस्थाई कर्मचारी को 01.03.2020 से 28.02.2021 तक आगामी एक वर्ष के अवधि के लिए अथवा अन्य आदेश जारी किये जाने तक जो भी पहले हो, निरंतर सेवा में बने रहने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है -

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम	एम.टी.एस. (ट्रेनी) के पद पर Re-designate किया जाने की तिथि	अवधि	टिप्पणी
1	श्री गणेश साव	09-07-2019	01.03.2020 से 28.02.2021	-

अतिरिक्त व्यय वर्ष 2020-2021 के लिए संस्वीकृति बजट अनुदान में से पूरा किया जायेगा एवं समुचित लेखा शीर्ष के नामे डाला जायेगा ।



(एस० बी० शर्मा)

निदेशक

प्रतिलिपि:-

1. भारत के महासर्वेक्षक का कार्यालय, देहरादुन को कृपया सूचनार्थ।
2. सभी अपर महासर्वेक्षक/निदेशकों को कृपया सूचनार्थ।
3. वरिष्ठ लेखा अधिकारी, क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, कोलकाता को कृपया सूचनार्थ।
4. वेबसाइट पर अपलोड हेतु वेब-एडमिन को ई-मेल द्वारा प्रेषित।
5. 37- जी - 7/ सेवा पंजिका / व्यक्तिगत फाईल।